

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अनुपूरक कार्यसूची

अष्टम् सत्र

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

4(क). कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-21/2016 दिनांक 31.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.02.2017 को प्रकाशित;
- (ii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-21/2016 दिनांक 31.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.02.2017 को प्रकाशित;
- (iii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उप-धारा(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-21/2016 दिनांक 31.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.02.2017 को प्रकाशित;

- (iv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-22/2016 दिनांक 03.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2017 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-9/2014 दिनांक 21.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.04.2017 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-16/2014 दिनांक 27.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.04.2017 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई.एक्स.एन.-एफ(10)-3/2017 दिनांक 29.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.05.2017 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2016 दिनांक 29.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.05.2017 को प्रकाशित; और

- (ix) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची 'घ' में संशोधन बारे जोकि अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(10)-36/2017 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.12.2017 को प्रकाशित ।

7. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-2021के लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2) हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2) हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

शिमला-171 004
दिनांक: 22 मार्च, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची का शुद्धिपत्र

अष्टम् सत्र

सोमवार, 23 मार्च, 2020/ 3 चैत्र, 1942 (शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

"2.00 बजे " (अपराह्न) को "11.00 बजे" (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए ।

शिमला-171004
दिनांक: 22 मार्च, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।
